शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./राशिके/वीडियो कान्फ्रे./2012/269 भोपाल दिनांक 24/1/12

प्रति,

संचालक/प्राचार्य
राज्य स्तरीय शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान,
शा.शिक्षा महाविद्यालय (समस्त)
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला स्रोत केन्द्र (समस्त) म.प्र.

विषयः– वीडियो कान्फ्रेंसिग दिनांक 10.1.2012 का कार्रवाई विवरण।

उपर्युक्त विषयांतर्गत दिनांक 10.1.2012 को सम्पन्न हुई वीडियो कान्फ्रेंसिग का कार्रवाई विवरण संलग्न प्रेषित है। वीडियो कान्फ्रेंसिग में दिये गए निर्देशों का निर्धारित समय सीमा में पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्रवाई से राज्य शिक्षा केन्द्र को अवगत करावें।

संलग्न– कार्रवाई विवरण

(डॉ. ओ.पी शर्मा)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ.क्र/राशिके/वीडियो कान्फ्रे./2012/270 भोपाल दिनांक 24/1/12

1. निजसहायक, आयुक्त/अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र।
2. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र.।
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र.।
4. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले म.प्र.।
5. संबंधित कक्ष प्रभारी, एससीईआरटी राज्य शिक्षा केन्द्र।
6. सर्व शिक्षा अभियान की वेब साइट एवं ऐजूकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
कार्रवाई विवरण
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 10.1.2012

आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा SCERT के अधीनस्थ संचालक/प्राचार्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 10 जनवरी 2012 को समीक्षा की गई। समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर निर्देश दिए गए–

1. पालन प्रतिवेदन –

1.1 विगत वीडियो कान्फ्रेंसिंग दिनांक 13.12.2012 के कार्रवाई विवरण के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा अपर संचालक द्वारा की गई। निर्देश दिए गए कि भविष्य में शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्रान्तर्गत डाइट्स से पालन सुनिश्चित कर रा.शि.के. को प्रतिवेदित करें।

1.2 प्राचार्य डाइट रतलाम विलंब से उपस्थित हुए, भविष्य में समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में संस्था प्रमुख स्वयं उपस्थित रहे तथा अपरिहार्य परिस्थिति में आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर प्रतिनिधि भेजें।

2. अकादमिक निरीक्षण –

2.1 अकादमिक सदस्यों द्वारा किए गए शाला निरीक्षणों की प्रविष्टि एजूकेशन पोर्टल पर करने तथा अद्यतन स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

(दायित्व – समस्त प्राचार्य)

2.2 आयुक्त महोदय ने अकादमिक सदस्यों से शाला निरीक्षण के दौरान कक्षा शिक्षण में शिक्षकों की शिक्षण विधियों का अवलोकन कर बालकेन्द्रित शिक्षा को क्रियान्वित कराने तथा इसी प्रकार शिक्षकों के प्रशिक्षण को शिक्षक केन्द्रित बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

(दायित्व – समस्त निरीक्षणकर्ता)

2.3 शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा किए गए अकादमिक निरीक्षण पोर्टल रिपोर्ट में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। शिक्षा महाविद्यालय भोपाल, छतरपुर, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन को पुनः समीक्षा कर पोर्टल प्रविष्टि में सुधार के निर्देश दिए गए।

(दायित्व–संबंधित प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय)

2.4 प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर, प्राचार्य डाइट अलीराजपुर, बैतुल, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, सीधी, द्वारा निर्धारित संख्या में शाला निरीक्षण नहीं किए गए है। पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं की गई है। अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सुधार कर प्रमाण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(दायित्व – प्राचार्य, संबंधित संस्था एवं प्राचार्य
संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय)

3. मूल्यांकन –

3.1 प्रतिभा पर्व के द्वितीय चरण के संबंध में राज्य स्तर से विस्तृत निर्देश जारी किए गए है। जिला स्तर पर अधिकारियों से समन्वय कर निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित करने के निर्देश गए।

(दायित्व–समस्त प्राचार्य)

3.2 12 जनवरी को सामूहिक सूर्यनमस्कार सभी संस्थानों में आयोजन के निर्देश दिए गए।

(दायित्व–समस्त प्राचार्य)

4. पाठ्यक्रम –

4.1 ABL/ALM संबंधी सामग्री प्राप्ति का प्रमाण पत्र केवल 21 जिलों द्वारा प्रेषित किया गया है शेष जिलों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए 31 जनवरी तक प्रमाण पत्र प्रेषण के निर्देश दिए गए।

4.2 'हमारी शाला कैसी हो' के स्टेटस पर चर्चा की गई तथा जानकारी अप्राप्त जिलों के प्राचार्यों को जानकारी भेजकर व्यक्तिगत रूप से समन्वयक राज्य शिक्षा केन्द्र को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

5. शिक्षक शिक्षा –

5.1 इग्नू द्वार संचालित डी.एल.एड पाठ्यक्रम में जिन डाइट्स की जुलाई 2011 में निर्धारित 100 स्थान की पूर्ति नहीं हुई है, डीईओ और संकुल प्राचार्यों के माध्यम से प्राप्त कर व्यक्तिगत रूप से अप्रशिक्षित शिक्षकों से संपर्क कर प्रवेश आवेदन पत्र भरवाते हुए शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करें। साथ ही दिस./जन. की निर्धारित 100 स्थान की पूर्ति भी अप्रशिक्षित शिक्षकों से पूर्ण करें। समय–सीमा 31 जनवरी 2012 तक कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।

5.2 13 जनवरी 2012 तक पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित 50 स्थानों पर अनिवार्यतः प्रवेश शुनिश्चित करावें।

5.3 26 अगस्त 2011 को प्रकाशित राजपत्र अनुसार पद संरचना के स्टॉफिंग की जानकारी केवल शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर और देवास से ही प्राप्त हुई है, तदनुसार स्टाफिंग प्रपत्र पूर्ण कर भिजवाने के निर्देश दिए गए।

5.4 डाइट भिण्ड के प्रभारी प्राचार्य श्री बी.के त्रिपाठी द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों के संबंध में त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी देने के कारण आयुक्त महोदय द्वारा एक वेतनवृद्धि रोकने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिए गए।

5.5 ई–सेवापुस्तिका के संबंध में निर्देश दिए गए कि स्थानांतरण आदि के कारण नवीन पदस्थापना कार्यालय में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये। भोपाल, जबलपुर ग्वालियर इंदौर में ई–सेवापुस्तिका सत्यापन का कार्य संस्था प्रमुख व्यक्तिगत रूप से करावें।

5.6 पोर्टल पर वेतन भुगतान समीक्षा में पाया गया कि शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर, डाइट जबलपुर, दतिया, मण्डला एवं नीमच द्वारा वेतन देयक आहरण हेतु पोर्टल शतप्रतिशत लॉकिंग नहीं की गई है। भविष्य में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

(दायित्व – समस्त संस्था प्रमुख एवं शिक्षक शिक्षा राज्य शिक्षा केन्द्र)

6. बजट –

6.1 डाइट सिवनी, मंडला, छिंदवाड़ा, रतलाम, दतिया, रीवा, धार, डिण्डौरी नीमच द्वारा निर्धारित समय सीमा में मासिक व्यय पत्रक (MER) प्रेषित नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए भविष्य के लिए चेतावनी दी गई ।

(दायित्व – समस्त संस्था प्रमुख)

6.2 महालेखाकार ग्वालियर से पुनर्मिलान का कार्य 25 संस्थानों का लंबित है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हए जनवरी माह में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

(दायित्व – संबंधित संस्था प्रमुख)

6.3 संचालक SISE, प्राचार्य IASE जबलपुर ने यात्राव्यय में बजट तथा डाइट छिंदवाड़ा ने विद्युत मद में बजट की मांग की है। परीक्षण कर बजट आवंटन के निर्देश दिए गए।

(दायित्व – बजट कक्ष, रा.शि.के)

7. आईईडी संसाधन कक्ष –

SSAIED अन्तर्गत डाइट में संसाधन कक्ष सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त राशि रूपये 1.00 लाख से नियमानुसार क्रय संबंधी कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। 19 डाइट में 90 दिवसीय फाउन्डेशन कोर्स के अध्ययन केन्द्र बनाने हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) द्वारा गठित दल द्वारा शीघ्र ही निरीक्षण किया जाना है। इस संबंध में दिनांक 24.1.2012 को संबंधित डाइट प्राचार्य एवं आईईडी प्रभारी के साथ समीक्षा बैठक राज्य शिक्षा केन्द्र में होगी। सर्वसंबंधितों को अनिवार्यतः उपस्थित होने के निर्देश दिए गए।

(दायित्व – संबंधित प्राचार्य डाइट एवं आईईडी प्रभारी डाइट)

8. जनसंख्या शिक्षा –

वर्ष 2010–11 में रोलप्ले, विश्व एड्स दिवस के लिए जारी राशि के उपयोगिता प्रमाण अनेक जिलों से प्राप्त से प्राप्त नहीं हुए है। संबंधित जिलों के प्राचायों को, जिला स्तर पर समन्वय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 जनवरी तक प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

(दायित्व – संस्था प्रमुख एवं जनसंख्या शिक्षा कक्ष राशिके)

9. शोध –

9.1 भोपाल, देवास, उज्जैन का मध्यावधि शोध का Data Collecion का अपूर्ण कार्य 12 जनवरी 2012 तक लघु अवधि शोध का संकलित प्रतिवेदन, मध्यावधि शोध रिपोर्ट 31 जनवरी 2012 तक तथा समस्त डाइट्स लघु अवधि की रिपोर्ट 25 जनवरी 2012 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

9.2 समस्त शास. शिक्षा महाविद्यालय एवं डाइट्स को नेट पर उपलब्ध **सत्र 2012–13 के शोध हेतु प्रस्तावित विषय** के अनुसार शोध विषयों का प्रस्ताव दिनांक 20 जनवरी 2012 तक ई–मेल researchssamp@rediffmail.com पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

(दायित्व – संस्था प्रमुख एवं शोध कक्ष राशिके)

10. जनवरी माह के लिए प्राथमिकताएँ –

1. सर्वशिक्षा अभियान वार्षिक कार्ययोजना 2012–13 निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने में सहयोग।
2. प्रतिभा पर्व के द्वितीय चरण आयोजन में सहयोग एवं समन्वय।
3. चिन्हित डाइट्स में फाउन्डेशन कोर्स प्रशिक्षण हेतु आर.सी.आई. अध्ययन केन्द्र बनाए जाने हेतु निरीक्षण संबंधी तैयारी
4. ईग्नू मा.शि.मं. के डी.एड. पाठयक्रमों में निर्धारित सीट्स की 100 प्रतिशत पूर्ति कराना।
5. आगामी वी.सी. में निरीक्षण गुणवत्ता सुधार की समीक्षा आयुक्त महोदय द्वारा की जावेगी।
6. महालेखाकार ग्वालियर से पुनर्मिलान का कार्य कराना ।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिग समाप्त हुई ।

(डॉ. ओ.पी. शर्मा)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल